IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# भारतीय महिलाओं की वर्तमान स्थिति व संरक्षण नितियां

**डॉ. नीलिमा दुबे**
**एसोशिएट प्रोफ़ेसर**
**न्यु होराइज़िन कॉलेज, बैंगलूरू**

**सार**

भारत जैसे विशाल देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति अनेक प्रकार के प्रश्न और चिन्तन की दिशाएं हमारे सामने रखती हैं। सबसे प्राचीन मानी जाने वाली हमारी संस्कृति व सभ्यता आधुनिक समय में भी समानता के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। आरंभ से ही हमारे देश में नारी को शक्ति व देवी का रूप तो माना गया, परन्तु उनके अधिकार व व्यवहार के विषय में कथनी और करनी के बीच कभी भी समनता नहीं दिखाई दी। भारत में आज भी महिलाओं को अपना स्थान बनाने एवं सुरक्षा के विषय में अनेक समझौते क रास्ता अपनाने को मजबूर किया जाता है। ऐसे में समाज और संविधान के बीच देश की नारी की वास्तविकता इस आलेख के माध्यम से रखने का प्रयास है। समझने की कोशिश है कि मानवाधिकार, संरक्षण कानून महिलाओं के अधिकारों को कितनी मजबूती प्रदान करते हैं।

**प्रस्तावना**

प्रकृति ने पुरूष और नारी को अलग-अलग गुणों से परिपूर्ण किया किया। जहां स्त्री कोमल अधिक है वहां पुरुष बली अधिक है। वास्तविक जीवन के अनुभव सिखाते हैं कि जीवन में केवल बल ही का ही उपयोग नही है और ना ही मात्र कोमलता से काम चलता है। सार्थक जीवन में बल की कठोरता के साथ कोमलता की मिठास भी चाहिए। इन दोनो को एक दूसरे के पूरक रुप में देखने से ही संसार सुखमय होगा। वैदिक काल में पुरुष व स्त्री के बीच असमानता कम दिखाई देती है।यह वह समय था जब जब पति पत्नि को दंपत्ति कहा गया व स्त्रियो को भी पुरुषों के समान अधिकार व ज्ञानार्जन की व्यवस्था थी। इस समय की अनेक दार्शनिक नारियों में अपाला, घोषा, शाश्वती, लोपामुद्रा, सिकता, निवावारी व अनुसुइया का ज्ञान-वैदुष्य और चिंतन उच्चकोटि का माना जाता है।(१)
कालांतर में पुरुष ने अपने बल के आधार पर समाज की व्यवस्था , नीति नियम बनाए, जिसमे इस बात का ध्यान रखा गया कि उसकी तुष्टि, आनंद और आराम में किसी भी प्राकर से कमी न हो चाहे स्त्री अपने अस्तित्व को कायम रख पाए या नहीं। यही से नारियों के लिए आचार संहिता बना दी गई लेकिन पुरुषों के लिए जवाबदेही निश्चित नहीं की गई। मनु ने नारियों के लिए लिखा जो वर्ण व्यवस्था से लेकर समाज व्यवस्था का आधार बना-
"पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने।
पुत्रौ रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्रमर्हति॥"
तुलसी दास ने भी इसका पालन किया और लिखा-" स्वतंत्र स्त्री बिगड जाती है।" (२)
मध्य काल ने नारी की दशा को और अधिक शोचनीय बना दिया। आधुनिक काल में भी ऊपरी तौर पर कई बदलाव दिखाई देते है, परंतु सतही सच आज भी चिंतनीय अवस्था में हैं।

## विस्तार

इक्कीसवीं सदी का भारत नारी सबलीकरण के संदर्भ में निसंदेह बेहतर दिखाई देता है। वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सक्षम नजर आती हैं।चाहे वह क्षेत्र पारंपरिक हो या तकनीकी। हर पेशे में महिलाएं अपने को योग्य साबित कर रही हैं। चिकित्सा, अभियंता, विमान चालक, सेना आदि में अब वे सश्क्त भूमिका निभा रही हैं। जब हम भारतीय मिलाओं की बात करते हैं तो बात हर नारी की है चाहे वह शहरी हो या ग्रामिण, कामकाजी हो, ग्रृहणी या बालिका। आज की नारी की सफ़ल पहलू के साथ साथ पुरे भारतवर्ष में नारी की स्थिति के कुछ दहला देने वाले सत्य भी हैं।जो नारी के उत्पीडन, शोषण, पीडा, और उसके साथ हो रहे पक्षपात पूर्ण अमानवीय व्यवहार गाथा को सामने रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि इन आंकडों का प्रसार आदिवासी, गांव से लेकर शहर तक पाया जाता है। कुछ उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार है:-

* डायन, डाकन, भूतनी, चुडैल, जादूगरनी, अथवा टोनही जैसे नामों से पुकारी जाने वाली यह कुप्रथा आदिवासी दलित समाज में आज भी प्रचलित है। बिहार के छोटा नागपुर, म.प्र. के छत्तीसगढ, झाबुआ आदि क्षेत्रों में इसका प्रचलन आज भी है। इस प्रथा में हत्या की जाती है, जिसके अधिकतर मामले अदालत तक आते ही नहीं।(३)
* आज भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में केवल ३५.६% लडकिया प्रवेश लेती हैं। हाल ही के आंकडे कहते है कि देश में उच्च शिक्षा में केवल १ लाख ७६ हजार लडकियां ही पहुच पायीं। वस्तविक साक्षरता से दूरी के लिए भारत में कई कारण मौजूद हैं।(४)
* राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो के आहार उपभोग के आंकडे बताते हैं कि १३-१६ साल की लडकियां शरीर के लिए जरूरी कैलोरी का केवल दो तिहाई भाग ही उपयोग करती है।
* भारत में ११०० लालबत्ती इलाके हैं। वेश्यावृत्ति में २४ लाख महिलाएं अभिशप्त जीवन जी रही है। (५) आज भी कर्नाटक के गांव चुन्चिनापुर में हरिजन मिलाओं का दैहिक शोषण देवी की सेवा के नाम पर खुले आम किया जाता है। कि अगले जन्म में उसका परिवार हरिजन होने से मुक्त हो जायेगा।
* देश की महिला जनसंख्या का ८% यानि लगभग ८ करोड विधवा का जीवन जीती है।ये विधवा महिलाएं समाज व धर्म सेवा के नाम पर नरक का जीवन जीने को मजबूर हैं। इनमें से ३ करोड विधवाएं केवल वृंदावन में ही रहती है।
* महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थितियां संतोशजनक नहीं है। २०१९ में बलात्काकार के ३२,५५९ केस दर्ज हुए।
* इनके अलावा बाल अपराध, बाल विवाह, अपहण, दहेज हत्या आदि के आंकडे भी बैचेनी पैदा कर देते है।

## वैधानिक संरक्षण व योजनाएं

भारतीय संविधान व कानून में महिलाओं क वर्णन ३ प्रकार से मिलता है।
१ वयस्क
२ विवाहित
३ विधवा

हमारे देश का कानून हर महिला को संरक्षण देने केलिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में कुछ कानून इस प्रकार हैं:-

* बाल विवाह अवरोध नियम (१९२९)
* भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा ३६६ (क) - अप्राप्य लडकी का उपापन।
*धारा ३६६ (ख) विदेश से लडकी का आयात करना।
* धारा ३७२ वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्रप्य को बेचना।
* धारा ३७५ बलात्संग
* दारा ४९३ विवाह का प्रवंचना से विश्वास कराना।
* धारा ४९४ जीवन साथी के रहते दूसरा विवाह करना।
* धार ४९६ कपट पूर्वक विवाह करना।
* धारा ४९७ जारकर्म
८ ४९८ विवाहित स्त्री को फ़ुसलाकर ले जाना।
* धारा ४ दहेज की मांग हेतु दंड।
* धारा ४९८ (क) पति व उसके घर वालों की दुष्टता। (६)
वयस्क महिलाओं के प्रति अपराध माने गये है। इनके लिए कडे दंड के प्रवधान है।

* भारत में १९९३ में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। (७) जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रवधान है।

* भारतीय विधि नियम के अनुसार वेश्यावत्ति अवैधानिक घोषित की गई तथा उसके निरमूलन ले लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए अनेक योजनाएं हैं। बनारस के खैराती लाल भोला द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रम तथा गुडिया संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास इस दिशा में प्रसंशनीय हैं।
* महिला आरक्षण के द्वारा इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
* इंदिरा महिला योजना (महिला कल्याण विभाग द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए मानसिकता में बदलाव पर कार्य) , बालिका संवृद्धि योजना, किशोरी बालिका योजना, न्यु मॉडल चर्खा योजना, ग्रामीण स्तर पर अच्छी योजनाएं है।
* गुजरात की कुंवर वाइनुं मारेरु योजना, हरियाणा सरकार की अपनी बेटी अपना धन, उत्तरांचल सरकार की ओर से महिला जागृति योजना, महिला संवृद्धि योजना का उल्लेखनीय कार्य है। (८)
* साक्षरता अभियान के तहत प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना, एकीकृत छात्रवृत्ति योजना का लाभ कई बालिकाओं व महीलाओं को मिल रहा है।
* नेशनल इंस्टीट्युट फ़ॉर एण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनिस डेवलपमेंट के द्वारा महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु योजना व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसरों को बढाने में लाभप्रद हैं।

आगे बढने के अवसर अनेक है। केन्द्र व राज्य सरकारों के अपने प्रयास है। गैरसरकारी संस्थाएं भी भरसक प्रयास कर रही हैं। लेकिन भारत की महिलाओं को मुख्य धारा से जोडने का सफ़र अभी भी जारी है। लक्ष्य बहुत दूर है। सबसे पहले सही सोच की जरुरत है, जो उसे एक महीला,नारी, औरत होने के पहले एक मनुष्य होने का अधिकार और सम्मान दे, जीने का महौल प्रदान करे।

**********

**संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

(१) हिन्दी कथा साहित्य में नारी शोषण, डॉ. रजनारायण पांडे, पृ. ०२.
(२) रामचरितमानस, संत तुलसीदास ( सूद्र गंवार ढोल पशु नारी। यह सब ताडन के अधिकारी॥)
(३) नारी शोषण आईने और आयाम, रमा शर्मा, एम. के. मिश्रा, पृ.७७.
(४) वही पृ. ७९
(५) भूमंडलीकरण का अमानवीय चेहरा,डॉ. प्रभा दीक्षित, पृ. ०१
(६) महिला शोषण और मानवाधिकार, सुधारानी श्रीवास्तव- आशा श्रीवास्तव, पेज ३२
(७) वही पृ. ८४
(८) महिला सशक्तिकरण एवं समाज, किरण कृष्णमूर्ति पृ. १०....१६